प्रेस विज्ञप्ति

03/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने सुधीर विंडलास और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 01/10/2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है और अपराध से प्राप्त लगभग 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में गोपाल गोयनका की ज़मीन भी शामिल है।

ईडी ने सरकारी राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), देहरादून द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला है कि गोपाल गोयनका ने अन्य लोगों के साथ मिलकर देहरादून के जौहरी गाँव में 2 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन को राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करके निजी व्यक्तियों को बेच दिया था। यह भी पता चला है कि अभिलेखों में मौजूद भूमि क्षेत्रफल पर ओवरराइटिंग करके राजस्व दस्तावेज़ों जैसे ज़िला, खतौनियों और खसरा में भी छेड़छाड़ की गई है।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि गोपाल गोयनका ने 2 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन बेचकर अवैध धन अर्जित किया और उसका इस्तेमाल और संपत्तियाँ खरीदने में किया।

आगे की जाँच जारी है।